रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-29112022-240628 CG-DL-E-29112022-240628

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5285]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 28, 2022/अग्रहायण 7, 1944 NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 28, 2022/AGRAHAYANA 7, 1944

No. 5285]

रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

अधिस्चना

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2022

का.आ. 5515(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप—धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, विहार राज्य के रोहतास जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप—धारा (1) के अधीन उपर्युक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, जिला भूमि अर्जन अधिकारी, रोहतास, बिहार को लिखित में किया जायेगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, करने के पश्चात्, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अनुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप—धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

7893 GI/2022 (1)

अनुसूची

बिहार राज्य के रोहतास जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात ईस्टर्न डेडीकटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या संरचना रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिलाः रोहतास

क्र.सं.	अंचल का नाम	मौजा	थाना नं.	खसरा सं.	रकबा हेक्टेअर में
1	2	3	4	5	6
1	सासाराम	डिलियॉ	138	161	0.0070
2				158	0.0225
3				157	0.0225
4				154	0.0110
5				151	0.0100
6				146	0.0160
7				144	0.0040
8				143	0.0265
9				136	0.0105
10				135	0.0430
11	सासाराम	धनपुरवा	137	636	0.0030
12				639	0.0060
13				641	0.0101
14				642	0.0041
15				643	0.0057
16				645	0.0071
17				646	0.0070
18				647	0.0041
19				658	0.0060
20	सासाराम	धुँआ	146	54	0.0081

[फा. सं. 2022 / एलएमएल—II / 12 / 2 / ईसी / 2361]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD) NOTIFICATION

New Delhi, the 25th November, 2022

S.O. 5515(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for public purpose the land the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto is required for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Rohtas in the State of Bihar hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under subsection (1) of Section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the competent authority namely, District Land Acquisition Officer, Rohtas, Bihar in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in person or by legal practitioner and may after hearing all such objections and after making such further enquiry if any as the competent authority thinks necessary by order either allow or disallow the objections;

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final:

The land plans and other details covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Rohtas in the State of Bihar.

DISTRICT: ROHTAS.

Sl. No.	Name of Circle	Name of Village	Thana No.	Survey No.	Area in Hectares
1	2	3	4	5	6
1	Sasaram	Dilia	138	161	0.0070
2				158	0.0225
3				157	0.0225
4				154	0.0110
5				151	0.0100
6				146	0.0160
7				144	0.0040
8				143	0.0265
9				136	0.0105
10				135	0.0430
11	Sasaram	Dhanpurwa	137	636	0.0030
12		-		639	0.0060
13				641	0.0101
14				642	0.0041
15				643	0.0057
16				645	0.0071
17				646	0.0070
18				647	0.0041
19				658	0.0060
20	Sasaram	Dhuan	146	54	0.0081

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2361]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L & A)